[2019] 1 एस. सी. आर 1001

नागपुर सुधार विश्वास और ओ. आर. एस.

वी.

मेसर्स बॉम्बेवाला एंड ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 937)

22 जनवरी, 2019

[ए. के. सिकरी, अशोक भूषण और एम. आर. शाह, जे. जे.]

महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम, 1966-इसके अधिनियमन का उद्देश्यः योजना के लिए प्रावधान करना

उनके उद्देश्य के लिए स्थापित क्षेत्रों में भूमि का विकास और उपयोग और यह सुनिश्चित करना कि नगर नियोजन योजनाओं को उचित तरीके से बनाया जाए और उनका निष्पादन प्रभावी बनाया जाए।

महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम, 1966 - धारा 59-सुधार योजना-अभ्यंकर सड़क चौड़ीकरण और बुटी महल सड़क योजना को वर्ष 1960 में नागपुर सुधार न्यास अधिनियम के तहत यातायात के लिए संचार और सुविधाओं के बेहतर साधनों के निर्माण के लिए तैयार किया गया था

सड़क-हालांकि, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत बनाई गई विकास योजनाओं में 15 मीटर की आंतरिक सड़क का प्रावधान नहीं था-एन. आई. टी. ने योजना को लागू करने का फैसला किया-राज्य सरकार ने भूमि मालिकों को पुनर्गठित समग्र भूखंड आवंटित किया जिसके अनुसार, अभ्यंकर सड़क को चौड़ा करने की प्रक्रिया शुरू की गई और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए-नोटिसों को रद्द करने के लिए दायर लिखित याचिकाएं-उच्च न्यायालय ने विध्वंस के नोटिसों को रद्द कर दिया-उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एस. 45 एन. आई. टी. अधिनियम के अनुसार, 15 मीटर की आंतरिक सड़क का प्रावधान किया गया है, जब तक कि इसे एस के तहत परिवर्तित और/या संशोधित नहीं किया जाता है। 46 योजना प्राधिकरण द्वारा एन. आई. टी. अधिनियम के अनुसार, इसे लागू करना होगा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत बनाई गई विकास योजना किसी भी योजना पर प्राथमिकता लेगी -

इसके विपरीत - एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 में एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत योजना तैयार करने का प्रावधान है, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान है कि योजना प्राधिकरण अंतिम विकास योजना में प्रस्तावों को लागू करने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए एक या अधिक नगर योजना योजना तैयार कर सकता है। 39 , 43 , 46 और एस। 59 एम. आर. टी. पी. अधिनियम से पता चलता है कि इसके तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजनाएं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे-इसलिए, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजना के विपरीत किसी भी विकास और/या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि योजना एस. 45 एन. आई. टी. अधिनियम इस तरह के विकास और/या निर्माण की अनुमति दे सकता है-एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एन. आई. टी. अधिनियम के बीच संघर्ष की स्थिति में, एम. आर. टी. पी. अधिनियम प्रबल होगा-नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, 1936 - एस. 45.

महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम, 1966 - धारा 39-15 मीटर चौड़ी सड़क को हटाने की योजना में संशोधन-अनुमति आयोजितः एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 योजना प्राधिकरण को यह आदेश देती है कि

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप योजना में बदलाव-हस्तांतरित मामले में, जब डी. पी. को मंजूरी दी गई थी, 15 मीटर की आंतरिक सड़क के लिए किसी भी प्रस्ताव के बिना, पहले वर्ष 1976 में और उसके बाद वर्ष 1989 और 2001 में, वही उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद था और उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था-इसके बाद, जब योजना डी. पी. योजना के साथ संघर्ष में थी।

एस के तहत अनिवार्य रूप से संशोधित। 39 एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अनुसार, इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है-इसलिए, जब एस। 39 एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाता है, योजना और/या बोर्ड संकल्प को संशोधित करने वाली विवादित अधिसूचना।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप 15 मीटर चौड़ी सड़क को हटाने की योजना में संशोधन को अवैध नहीं कहा जा सकता-नागपुर सुधार न्यास अधिनियम, 1936 - एस. 45.

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 1964 की अंतिम योजना में 15 मीटर की आंतरिक सड़क की तुलना में 1976 की अंतिम विकास योजना में विचाराधीन भूमि से 15 मीटर की आंतरिक सड़क शामिल नहीं थी। इस प्रकार 1964 की योजना को 15 मीटर आंतरिक सड़क प्रदान करने की सीमा तक एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों को तैयार और स्वीकृत करना एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 तैयार करने का प्रावधान करती है

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत योजना, जो विशेष रूप से प्रदान करती है कि योजना प्राधिकरण अंतिम में प्रस्तावों को लागू करने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के क्षेत्र के लिए एक या अधिक नगर योजना योजना तैयार कर सकता है। विकास योजना। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 नागपुर सुधार विश्वास v के रूप में प्रासंगिक है।

एम/एस बम्बईवाला

वर्तमान मामले में, वह योजना जो 15 मीटर आंतरिक सड़क प्रदान करती है, एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अधिनियमन से पहले तैयार और स्वीकृत की गई थी और इसलिए, धारा 92 के साथ पठित धारा 39 लागू होगी। एक संयोजन

धारा 39,43,46 और यहां तक कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 को पढ़ने से पता चलता है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजनाएं प्रबल होंगी। इसलिए, इसके तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजना के विपरीत किसी भी विकास और/या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधान, हालांकि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत तैयार और स्वीकृत योजना ऐसी अनुमति दे सकती है

विकास और/या निर्माण। [पैरा 11.7-11.9] [1022-डी-ई, जीएच; 1022-ए-बी]

2. हालांकि एन. आई. टी. अधिनियम के तहत योजना में आंतरिक 15 मीटर सड़क का प्रावधान था, जिसे एन. आई. टी. अधिनियम में मंजूरी दी गई थी।

वर्ष 1964 में, उसके बाद बहुत विकास हुआ और परिस्थितियाँ बदल गईं। विकास योजना/संशोधित विकास योजना में, मौजूदा सड़क को 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ा किया गया और इसलिए, जब डी. पी. तैयार किया गया और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत मंजूरी दी गई, तो 15 मीटर आंतरिक चौड़ी सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं था। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजना टी. पी. योजना पर हावी होगी। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत डी. पी. योजना के विपरीत किसी भी विकास और/या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 11.11] [1024 D-F]

3. लेआउट योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इमारत की अनुमति एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत डी. पी. के अनुरूप दी गई है। विध्वंस के नोटिस प्राप्त हुए थे

स्वीकृत लेआउट योजना और भवन अनुमति के अनुसार निर्माण। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की है कि एन. आई. टी. की कार्रवाई कानूनी रूप से शरारत थी। यह विवाद कई वर्षों से लंबित है। भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं ने प्रवेश किया समान रूप से स्थित अन्य किरायेदारों के साथ समझौता करना। अब, केवल 18 किरायेदार विकास का विरोध कर रहे हैं, हालांकि भूमि मालिक/विकासकर्ता सहमत हो गए हैं और [2019] 1 एस. सी. आर. देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।

उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जो इस न्यायालय के समक्ष सहमति के अनुसार अन्य किरायेदारों को दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कारणों से और/या भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं पर कुछ और लाभ देने के लिए दबाव बनाने के लिए, मूल रिट याचिकाकर्ता हैं:

विकास/निर्माण का विरोध करना। यद्यपि मूल भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं के पास भवन निर्माण की अनुमति है और उन्होंने एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी योजनाओं को मंजूरी दे ली है और भारी खर्च करने के बाद भी, वे लंबित होने के कारण आगे कोई निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं। मुकदमेबाजी। इसलिए, इक्विटी भी इसके पक्ष में होगी

भूमि मालिकों/विकासकों के रूप में अपीलकर्ता। [पारस 11.13,11.15] [1025 B-C, F-H; 1026-A-B]

4. स्थानांतरित मामला (सी) No.23/2018:

एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 योजना को अनिवार्य बनाती है।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप योजना में बदलाव करने का अधिकार। जब डी. पी. को मंजूरी दी गई थी, पहले वर्ष 1976 में और उसके बाद वर्ष 1989 और 2001 में 15 मीटर की आंतरिक सड़क के लिए किसी भी प्रस्ताव के बिना, इसे उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मंजूरी दी गई थी और इसे मंजूरी दी गई थी।

और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत। इसलिए, इसके बाद, जब मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, डी. पी. योजना के साथ टकराव की सीमा तक योजना को एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 के तहत अनिवार्य रूप से संशोधित किया गया है, तो उसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 और एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने पर, योजना में संशोधन करने वाली विवादित अधिसूचना और/या 15 मीटर चौड़ी सड़क को हटाने की योजना में संशोधन करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव, जो अब एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप होगा, को इस न्यायालय के अवैध हस्तक्षेप के रूप में नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 12.1] [1027-सी-एफ]

मनोहर जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्र. (2012)

3 एस. सी. सी. 619; अनुसूचित जाति और कमजोर वर्ग

वेलफेयर एसोसिएशन बनाम। कर्नाटक राज्य (1991) 2 एससीसी

604 : [1991] 1 एस. सी. आर. 974-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

(2012) 3 एससीसी 619

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[1991] 1 एससीआर 974

उस पर भरोसा करें

पैरा 8 नागपुर सुधार ट्रस्ट v. एम/एस बम्बईवाला

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 937

2019 .

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.09.2016 से, 2015 की रिट याचिका संख्या 2695 में नागपुर की पीठ।

के साथ

सिविल अपील सं। 938 , 939 , 940 , 941 , 942 और 2019 का 943-944 और टी. सी. (ग) 2018 की सं. 23।

सौरभ कृपाल, वी. गिरि, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेहूल एम. गुप्ता, विराट मिश्रा, आर. पी. गुप्ता, सत्यजीत ए. देसाई, अंशुमन सिंह, सुश्री अनघा एस. देसाई, समीर रोहतगी, अक्षय नाइक, अक्षित प्रधान, प्रशांत पखिड्डी, अभय कुमार, ऋषिकेश चिताली, शुभ्रांशु पाधी, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., राहत बंसल, आर. शर्मा, सुश्री लिज़ मैथ्यू, कुश चतुर्वेदी, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, चारुहास धर्माधिकारी,

अनिरुद्ध अनंतकृष्णन, कुमार शशांक, निवेश कुमार, माणिक सेठी, विशाल प्रसाद, सुश्री सौम्या, सुश्री मयूरी कुलकर्णी, श्रीराम पी. पिंगले, सुश्री अनघा एस. देसाई, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, संजय घोष, नितिन भारद्वाज, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अमन वर्मा, एस. पाधी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था एम. आर. शाह, जे. को इन सभी विशेष अवकाश में अनुमति दी गई

याचिकाएं। 1. जैसा कि कानून और तथ्यों का सामान्य सवाल इस अपील समूह में उत्पन्न होता है जो दिनांक 15.09.2016 के विवादित फैसले और आदेश से उत्पन्न होता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित, नागपुर की पीठ ने 2015 की रिट याचिका No.2695 में पारित किया, इन सभी अपीलों का निपटारा इसके द्वारा किया जा रहा है। सामान्य निर्णय और आदेश। सुविधा के लिए, 2016 के एस. एल. पी. ओ. No.32089 से उत्पन्न दीवानी अपील को प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है और उक्त अपील में तथ्यों का वर्णन किया जाता है।

2. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 15.09.2016 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में न्यायिक न्यायालय ने पारित किया 2015 का W.P.No.2695 जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने उक्त [2019] 1 एस. सी. आर. को अनुमति दी है।

उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई रिट याचिका Nos.1 से 18 तक-मूल याचिकाकर्ता संख्या। 1 18 विचाराधीन भवन के कुछ अधिभोगियों/किरायेदारों को और जिनके द्वारा डिवीजन बेंच ने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी 24.04.2015 दिनांकित नोटिस को दरकिनार कर दिया है, मूल उत्तरदाता-नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य नीचे दिए गए हैं।

4. कि नागपुर सुधार न्यास अधिनियम 1936 (इसके बाद 'एन. आई. टी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को 25.12.1936 पर अधिनियमित किया गया था। कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (इसके बाद 'एन. आई. टी.' के रूप में संदर्भित) ने बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 29.10.1960 के माध्यम से एक सुधार योजना तैयार की जिसे "अभ्यंकर रोड चौड़ीकरण और बुटी महल स्ट्रीट योजना" के रूप में जाना जाता है।

(इसके बाद बुटी परिवार से संबंधित खसरा No.320 और 315 (आंशिक) मौज़ा सीताबुलदी वाली 8.7 एकड़ भूमि के संबंध में "योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है। यही योजना एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 31 के तहत "यातायात के लिए संचार और सुविधाओं के नए साधनों के निर्माण या मौजूदा साधनों में सुधार" के लिए बनाई गई थी। कि, अन्य बातों के साथ-साथ, महात्मा गांधी रोड से अभ्यंकर रोड को जोड़ने के लिए एक नई 15 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना था। कि उक्त योजना में प्रदान की गई 15 मीटर की आंतरिक सड़क वर्तमान मामलों में मुद्दे का विषय है। कि, उक्त योजना एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 39 के अनुसार 29.10.1961 पर प्रकाशित की गई। कि, एन. आई. टी. ने उपरोक्त योजना के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। कि राज्य सरकार ने 23.09.1964 पर एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 (1) (ए) के साथ पठित धारा 44 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त योजना को मंजूरी दी। तदनुसार, एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत उस आशय की अधिसूचना भी जारी की गई थी।

4.2 एन. आई. टी. को नागपुर के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत "योजना प्राधिकरण" के रूप में नियुक्त किया गया था। कि, वर्ष 1967 में, पहला फाइनल एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 22 और 31 के तहत नागपुर शहर के लिए विकास योजना तैयार की गई और उसे मंजूरी दी गई। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त अंतिम विकास योजना में, उपरोक्त 15 मीटर

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

एन. आई. टी. अधिनियम के तहत नगर योजना योजना के तहत प्रदान की गई सड़क को एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत विकास योजना में नहीं दिखाया गया था।

4.3 कि एन. आई. टी. ने दिनांक 05.06.1981 और 31.12.1981 की बोर्ड बैठक में योजना को लागू करने का निर्णय लिया। कि, भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किया गया और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई।

4.4 कि एक समाचार पत्र लेख 21.06.1981 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया था कि एन. आई. टी. ने "बुटी महल विकास" को सौंपने का फैसला किया है।

पुनर्विकास के लिए भूमि मालिकों को "योजना"। कि, वर्ष 1983 में,

भूमि मालिकों द्वारा अधिग्रहण को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष 1983 की एक रिट याचिका दायर की गई थी। शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

4.5 कि, 07.06.1984 पर, भूमि मालिक-श्री योगेश्वर बुटी और श्रीमती। मधुरिबाई बुटी ने पुनर्गठित भूखंड आवंटित करने के लिए एन. आई. टी. से संपर्क किया

या उनसे संबंधित Nos.6,7 और 8 वाले भूखंड। हालाँकि, उक्त अनुरोध को एन. आई. टी. द्वारा 17.08.1984 पर अस्वीकार कर दिया गया।

4.6 कि, 13.03.1995 पर, एक श्रीमती। इंदिराबाई बुटी (भूमि मालिक) ने भूमि को विकसित करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि

अन्य रूप से, कि; (1) भूमि का विकास एन. आई. टी. की विकास योजना के अनुसार होगा; (2) सभी किरायेदारों को प्रस्तावित योजना में समायोजित किया जाएगा; (3) बेहतरी शुल्क का भुगतान एन. आई. टी. को किया जाएगा। कि एन. आई. टी. के बोर्ड ने आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक भूखंड का निर्णय लिया गया। श्री यधुराज संघानी के मामले में आवंटित किया गया था; (2) श्रीमती. इंदिराबाई बुटी और अन्य भूमि मालिकों को अपनी प्रस्तावित योजना में समायोजित करने के लिए, पुनर्गठित भूखंड के क्षेत्र में किरायेदारों और (3) विषय भूखंड के संबंध में सभी याचिकाओं को बिना शर्त वापस लेना होगा। एन. आई. टी. के दिनांक 11.03.1996 के उक्त संकल्प के आधार पर, अधिग्रहण को चुनौती देने वाली 1983 की रिट याचिका No.2326 को भूमि मालिकों द्वारा वापस ले लिया गया था।

4.7 इस बीच, वर्ष 1989 में पहली अंतिम विकास योजना आई जिसे पहले वर्ष 1986 में तैयार और स्वीकृत किया गया था संशोधित किया जाए। पुनः, उपरोक्त 15 मीटर की आंतरिक सड़क को संशोधित डी. पी. में चित्रित नहीं किया गया था।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.8 ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1997 में एन. आई. टी. ने शहरी विकास विभाग को पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया था।

वर्तमान योजना में पुनर्गठित भूखंड का आवंटन करने के लिए 1983 के नियमों के नियम 26 के तहत नियम, 1983 (इसके बाद "1983 नियम" के रूप में संदर्भित)। कि राज्य सरकार ने 07.10.1997 दिनांकित आदेश के तहत जारी किया 1983 के नियमों के नियम 26 ने नियम 5 (2) में ढील दी और सर्वेक्षण 3119,3123,3123,3122,3124,3124 में पुनर्गठित भूखंड आवंटित किया।

अन्य बातों के साथ-साथ यह कि (i) आवेदक स्वीकार करेंगे -

भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि का मुआवजा और उसे भूमि का कब्जा देना; (ii) भूमि का विकास एन. आई. टी. की विकास योजना के अनुसार होगा; (iii) सभी किरायेदारों को -

4.9 कि एन. आई. टी. ने जी. ओ. दिनांक 07.10.1997 के संदर्भ में परिवर्तित योजना को लागू करने के लिए 23.10.1997 पर एक बोर्ड प्रस्ताव पारित किया। कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एन. आई. टी. ने दिनांकित एक पुरस्कार पारित किया 16.12.1997 5677 वर्ग कि. मी. भूमि के संबंध में। फुट असर खसरा No.320 सीताबुलदी, नागपुर। कि, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा घोषित पुरस्कार के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया और एन. आई. टी. को सौंप दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि, 271552.60 वर्ग में से। भूमि का फुट, केवल 114079.36 वर्ग। एन. आई. टी. द्वारा अधिग्रहित की गई थी और बाकी भूमि भूमि मालिकों के पास रह गई थी।

4.10 कि एम. आर. टी. पी. की धारा 31 के संदर्भ में अंतिम विकास योजना वर्ष 2001 में स्वीकृत की गई थी।

4.11 कि जी. ओ. दिनांक 07.10.1997 के अनुसार, अभ्यंकर सड़क को चौड़ा करने की प्रक्रिया शुरू की गई और नोटिस जारी किए गए

दुकानों को ध्वस्त करने के लिए। उस समय, 2002 की रिट याचिका अभ्यंकर रोड के कुछ किरायेदारों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें एन. आई. टी. द्वारा सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया में किरायेदारों को जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने फैसले द्वारा खारिज कर दिया

और दिनांकित आदेश 22.02.2002। यह मामला इस अदालत के समक्ष उठाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष 2002 के आई. डी. 1 के याचिकाकर्ताओं और भूमि मालिकों और एन. आई. टी. के बीच एक समझौता किया गया था। दिनांक 08.04.2002 के आदेश द्वारा, 2002 के SLP® No.4846 का निपटान भूमि मालिकों, किरायेदारों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में किया गया था (केवल नागपुर सुधार विश्वास v.

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

रिट याचिकाकर्ता) 2002 के W.P.No.725 के मूल याचिकाकर्ता, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें निर्दिष्ट की गई थीं:

• मकान मालिक एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेगा।

पुनर्गठित भूखंड जो एन. आई. टी. द्वारा उसे आवंटित किया जाना था।

• किरायेदार और मकान मालिक समझौता याचिका दायर करने के एक सप्ताह के भीतर अपने कब्जे में तत्काल कार्यवाही में शामिल संपत्ति से ऐसे क्षेत्र को खाली कर देंगे जो अभयंकर के चौड़ीकरण के लिए आवश्यक है।

सड़क।

समझौते में एन. आई. टी. को एक एकल पुनर्गठित भूखंड आवंटित करने और सूट संपत्ति का पुनर्विकास करने का भी प्रावधान किया गया। नागपुर शहर की विकास योजना और सभी किरायेदारों को विकास के बाद फिर से बसाया जाएगा।

4.12 कि इसके बाद, मालिकों द्वारा किए गए अनुरोध पर,

एन. आई. टी. द्वारा 10602.09 वर्ग कि. मी. के बराबर एकल पुनर्गठित भूखंड आवंटित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। एम. टी. एस. अविभाजित हिस्से के रूप में और यही बात बुटी परिवार को भी दी गई थी। इसके बाद, सरकार ने 12.11.2003 दिनांकित पत्र द्वारा मालिकों को पुनर्गठित भूखंड आवंटित किया। दिनांकित 12.11.2003 पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क के लिए भूमि विकास योजना के अनुसार प्रदान की जाएगी और लाभार्थियों को

सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग के लिए भूमि उपलब्ध करानी होगी। 4.13 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एन. आई. टी. ने 16.08.2005 और 29.03.2006 दिनांकित अभ्यावेदनों के माध्यम से राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत अभ्यंकर रोड की चौड़ाई को 12 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने और वाणिज्यिक दुकानें चलाने वाले किरायेदारों को समायोजित करने के लिए पुनर्गठित भूखंड को आवासीय से वाणिज्यिक में बदलने के लिए।

4.14 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद 02.08.2006 पर, मालिकों ने याचिकाकर्ताओं में से एक के साथ एक विकास समझौता किया-M/s

4.15 कि इसके बाद राज्य सरकार ने एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत एक आदेश पारित किया जिसमें खसरा No.320 और 325 (भाग) के संबंध में उपयोग को आवासीय से आवासीय में बदलने की अनुमति दी गई। वाणिज्यिक। ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यंकर सड़क को 12 मीटर के स्थान पर 24 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति भी राज्य द्वारा दी गई थी।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.16 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एन. आई. टी. द्वारा लेआउट योजना के लिए ड्राइंग/भवन मानचित्र पर 22.04.2008 पर अस्थायी मंजूरी दी गई थी।

एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एन. आई. टी. ने 18.08.2009 दिनांकित पत्र जारी किया।

भूमि मालिकों को एक एकल पुनर्गठित भूखंड आवंटित करने के लिए पत्र जो 114079.36 वर्ग कि. मी. है। उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन, भूमि मालिकों को। कि इसके बाद, एन. आई. टी. और भूमि मालिकों के बीच पुनर्गठित भूखंड के संबंध में दिनांकित आवंटन पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एन. आई. टी. ने नागपुर शहर के डी. सी. आर. के अनुसार पुनर्गठित भूखंड के संबंध में अंतिम लेआउट योजना को मंजूरी दी। कि नागपुर शहर के डी. सी. आर. के अनुसार भवन योजना को भी 27.06.2012 पर मंजूरी दी गई। कि, 10.12.2014 पर, एन. आई. टी. द्वारा भवन परमिट और प्रारंभ प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन जारी किए गए थे। कि एन. आई. टी. द्वारा 11.12.2014 पर उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन एक संशोधित भवन योजना को भी मंजूरी दी गई थी।

4.17 इसके बाद 24.04.2015 पर, एन. आई. टी. ने किरायेदारों को नोटिस जारी कर अपनी दुकानों का एक हिस्सा खाली करने के लिए कहा ताकि वे ऐसा कर सकें।

लेआउट योजना के अनुसार निर्माण।

4.18 उपरोक्त नोटिसों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के समक्ष 2015 की रिट याचिका No.2695 दाखिल करने को जन्म दिया। उक्त रिट याचिका में, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ एन. आई. टी. द्वारा जारी किए गए नोटिसों को रद्द करने के आदेश के लिए अनुरोध किया। कि उक्त याचिका का मूल रिट याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ एन. आई. टी. ने भी विरोध किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने 2015 के W.P.No.2695 में 2015 के C.A.No.1615 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रार्थनाओं में संशोधन के लिए अनुरोध किया गया था।

याचिका दायर करें और उन्हें दिनांकित स्वीकृत योजना को चुनौती देने की अनुमति दें

27.06.2012 और संशोधित योजना दिनांकित 11.12.2014। उक्त संशोधन का मूल भूमि मालिकों और विकासकर्ताओं ने विरोध किया था। हालाँकि, उसके बाद उच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन आवेदन को स्वीकार कर लिया।

4.19 ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने 2015 के W.P.No.2695 में दिनांकित 03.09.2015 आदेश द्वारा निर्देश दिया कि

अध्यक्ष, एन. आई. टी. किरायेदारों और विकासकर्ताओं और भूमि मालिकों दोनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना का पता लगाएंगे और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देंगे।

यह नागपुर सुधार विश्वास v प्रतीत होता है। एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

कि, दिनांक 03.09.2015 के आदेश के अनुसार, अध्यक्ष, एन. आई. टी. ने सभी पक्षों को बुलाया। इसके बाद अध्यक्ष, एन. आई. टी. ने 15.10.2015 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।

4.20 कि इसके बाद, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और रद्द कर दिया है और रद्द कर दिया है

एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रकाशित और स्वीकृत किया गया और यह कि यह आंतरिक शरारत से ग्रस्त है। 4.21 कि उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के W.P.No.2595 में दिनांकित 15.09.2016 द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के बाद, मूल योजना को मंजूरी दी गई

एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत, जो 15 मीटर की आंतरिक सड़क प्रदान करती है, एन. आई. टी. अधिनियम के तहत 15 मीटर की आंतरिक सड़क को हटाकर संशोधित किया गया। यही बात महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में 24.04.2017 पर प्रकाशित हुई। एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 46 के तहत योजना से 15 मीटर की आंतरिक सड़क और एक अन्य आंतरिक सड़क को हटाने के लिए एन. आई. टी. द्वारा पारित प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए 18 किरायेदारों/दुकानदारों द्वारा 2017 का आई. डी. 2 नागपुर पीठ, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। कि 2018 का एक स्थानांतरण मामला No.23 इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2017 के W.P.No.5005 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, 2015 का स्थानांतरण मामला No.23 भी अपीलों के वर्तमान समूह के साथ सूचीबद्ध है।

5.1 हमने विद्वान वकील को उनकी ओर से पेश होते हुए सुना है

2017 की हस्तांतरित रिट याचिका No.5005 में भी संबंधित पक्षकार,

2015 के W.P.No.2695 में पारित किए गए विवादित निर्णय और दिनांकित 15.09.2016 आदेश से उत्पन्न अन्य अपीलों के साथ।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. संबंधित अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि, श्री मुकुल रोहतगी और श्री ध्रुव मेहता ने कहा है कि

जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों और मनोहर जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। 2012 (3) एससीसी 619।

6.1 संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-मूल उत्तरदाताओं ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि जबकि

विवादित निर्णय और आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है।

6.2 संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि हालांकि एन. आई. टी., 1936 के प्रावधानों के तहत बनाई गई मूल योजना में 15 मीटर आंतरिक सड़क का प्रावधान था, उसके बाद जब एम. आर. टी. पी. अधिनियम लागू हुआ और लागू हुआ और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाई गई और स्वीकृत विकास योजना में कोई प्रावधान नहीं था। " आंतरिक सड़क "जैसा कि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रकाशित योजना में था, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए,

विकास योजना डी. पी. योजना को ओवरराइड करती है और इसलिए, कोई आंतरिक सड़क प्रदान करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च

न्यायालय ने उपरोक्त की उचित रूप से सराहना नहीं की है।

इसे एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप लाने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, उच्च न्यायालय ने विध्वंस के नोटिसों को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है जो 15.05.2012 पर स्वीकृत अंतिम लेआउट योजना पर आधारित हैं और 27.06.2012 पर भवन परमिट दिया गया और 11.12.2014 पर संशोधित किया गया, जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार था।

6.4 यह आगे संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भौतिक रूप से

मनोहर जोशी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले को गलत तरीके से पढ़ने और/या गलत व्याख्या करने में गलती की और यह अभिनिर्धारित किया कि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत एन. आई. टी. पर योजना को निष्पादित करने के लिए बनाए गए वैधानिक दायित्व -

जिस हद तक यह नागपुर सुधार विश्वास v में प्रस्तावों के परिवर्तन या संशोधन में नहीं है।

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

अंतिम विकास योजना बनी हुई है और इसे लागू किया जा सकता है। संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त टिप्पणियां इसके बिल्कुल विपरीत हैं - मनोहर जोशी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मनोहर जोशी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि भले ही एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 के तहत निर्देशित ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन डी. पी. योजना के प्रावधानों के विपरीत भूमि का उपयोग किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है।

6.5 यह आगे संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उपरोक्त निष्कर्ष और

अवलोकन एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 43 के विपरीत हैं जिसमें प्रावधान है कि एक बार विकास योजना तैयार करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत की जाती है, तो इसके विपरीत किसी भी विकास की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6.6 संबंधित अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है

तथ्य यह है कि, बाद के विकास और मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण को देखते हुए, एन. आई. टी. अधिनियम के तहत योजना में प्रदान की गई आंतरिक सड़क की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मौजूदा सड़क के बाद के विकास और चौड़ीकरण को देखते हुए, जब बाद में एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत डी. पी. तैयार किया गया था, तो एन. आई. टी. अधिनियम के तहत योजना में पहले 15 मीटर की आंतरिक सड़क का कोई प्रावधान नहीं था।

पहली बार वर्ष 1976 में तैयार किया गया था और बाद के डी. पी. में, आंतरिक सड़क के लिए कोई प्रावधान नहीं था और इसके बावजूद, मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे चुनौती नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में भी मुख्य रिट याचिका में जिसे चुनौती दी गई थी, वह विध्वंस नोटिस था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी डी. पी. ने तैयार किया और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत, जिसमें आंतरिक सड़क के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल भी चुनौती के दायरे में नहीं था। यह है।

प्रस्तुत किया कि, इसलिए, लेआउट योजना को एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भवन परमिट जारी किया गया, जिसे बाद में संशोधन के माध्यम से चुनौती दी गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्माण लेआउट योजना और एम. आर. टी. पी. [2019] 1 एस. सी. आर. के प्रावधानों के तहत दिए गए भवन परमिट के अनुसार किया जाना चाहिए।

एक्ट। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, उच्च न्यायालय ने अंतिम लेआउट योजना के साथ-साथ भवन परमिट को केवल इस आधार पर रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है कि यह एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रकाशित योजना का उल्लंघन है।

एन. आई. टी. का रुख कि विकास योजना में विराम रेखाएं केवल एन. आई. टी. के नियंत्रण में योजना की सीमाओं को इंगित करती हैं और इसका इससे अधिक कोई महत्व नहीं है। 6.9 विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन करने में भौतिक रूप से गलती की है कि, किसी के अभाव में

आंतरिक सड़क के विपरीत प्रावधान, जो विकास योजना में दिखाए गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि आंतरिक सड़क के प्रावधान गायब हो जाते हैं

स्वतः। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ठीक से नहीं किया है

इस तथ्य की सराहना की कि इस तरह की विकास योजना जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई है, विशेष रूप से कोई आंतरिक सड़क प्रदान नहीं करती है, जो पहले एन. आई. टी. अधिनियम के तहत योजना में प्रदान की गई थी।

और योजना के अनुसार नहीं। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जी. ओ. दिनांकित 07.10.1997 जारी करते समय, यह विशेष रूप से नोट किया गया था कि 50 फीट। (15 मीटर) भूमि के माध्यम से चौड़ी सड़क के तहत प्रदान नहीं की गई है विकास योजना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त पर एन. आई. टी. द्वारा विचार किया गया था और नोट किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के बावजूद उच्च न्यायालय ने कहा है कि पूरे एन. आई. टी. में सभी इस योजना को लागू करना चाहते हैं।

6.11 विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि एक भी समेकित है

भूखंड एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवंटित किया गया था और उसके बाद एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेआउट योजना प्रस्तुत की गई थी।

और स्वीकृत किया गया और निर्माण करने के लिए विकास की अनुमति प्राप्त की गई जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत डी. पी. के अनुसार दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विध्वंस नोटिसों को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है, जो कि लेआउट प्लान नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट v की मंजूरी के परिणामस्वरूप थे।

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

और अनुमति का अनुदान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने स्वीकृत लेआउट योजना के साथ-साथ एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत दी गई विकास अनुमति को रद्द करने और अलग करने में भौतिक रूप से गलती की गई। विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने, इसलिए, यह देखने और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि लेआउट योजना की अनुमति/मंजूरी देना जो एन. आई. टी. अधिनियम के तहत योजना का उल्लंघन था, डेवलपर्स और मालिकों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए कानून में एक शरारत थी और यह आंतरिक सड़क पर किरायेदारों को सामने की सुविधा से वंचित करता है।

6.13 संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि, एक ओर, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि, पैराग्राफ 86 में, उच्च न्यायालय ने दरकिनार नहीं किया है और उच्च न्यायालय के लिए एन. आई. टी. द्वारा दी गई लेआउट योजना और भवन अनुमति को दरकिनार करना भी आवश्यक नहीं है, पैराग्राफ 89 (2) में उच्च न्यायालय द्वारा की गई अंतिम टिप्पणी स्वीकृत लेआउट योजना को रद्द करने और दरकिनार करने के समान होगी और यहां तक कि भवन निर्माण की अनुमति।

6.14 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और एन. आई. टी. अधिनियम के साथ-साथ एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों और इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना।

मनोहर जोशी (उपरोक्त) के मामले में, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

7. सुश्री रुक्मिणी द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

बोबडे, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता और सुश्री दीपा कुलकर्णी भी विद्वान अधिवक्ता थीं।

7.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया है।

7.2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश एन. आई. टी. अधिनियम के साथ-साथ एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

7.3 मूल रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों की सही व्याख्या पर, अधिक

इसलिए, एक बार एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एक योजना/सड़क योजना स्वीकृत की गई थी, केवल क्योंकि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत तैयार की गई विकास योजना में आंतरिक सड़क का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकृत योजना को लागू नहीं किया जाना है, भले ही वह एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिवर्तित या संशोधित न हो।

7.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा और अभिनिर्धारित किया है कि जब तक और जब तक योजना में परिवर्तन नहीं किया जाता है या इसके द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है

निर्माण, यदि कोई हो, तो एन. आई. टी. अधिनियम के तहत 23.06.1964 पर प्रकाशित योजना के अनुरूप किया जाता है। 7.6 विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पूरी तरह से एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रकाशित योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है, अर्थात बेहतर विकास और यातायात की भीड़ से बचने के लिए। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने (2012) 3 एस. सी. सी. 619 में रिपोर्ट किए गए मनोहर जोशी (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है, उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में कि अत्यधिक जटिल शहरों को शामिल करने की योजना वैज्ञानिक पर निर्भर करती है।

अनुसंधान, अध्ययन और अनुभव और इस प्रकार उचित सम्मान के पात्र हैं और इसलिए, जो योजना बेहतर सड़क योजना के लिए आवश्यकता के उचित विचार के बाद तैयार की जाती है, उसे तब तक लागू किया जाना चाहिए, जब तक कि वह एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधित न हो।

7.7 विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि अपीलकर्ताओं ने बाद में योजना को संशोधित करके उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को लागू किया है, जिसे पहले एन. आई. टी. अधिनियम के तहत स्वीकृत और तैयार किया गया था, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और इसलिए, अब इसके बाद अपीलकर्ताओं के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है। 8. अब, जहाँ तक एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 46 के तहत योजना के परिवर्तन/संशोधन को चुनौती देने की बात है, जो कि

स्थानांतरण याचिका, यह रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि यह एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता है [2019] 1 एस. सी. आर.

एन. आई. टी. अधिनियम के तहत प्रदान की गई योजना के परिवर्तन और/या संशोधन के लिए अनुसरण किए जाने का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो कोई आपत्ति आमंत्रित की गई थी और न ही रिट याचिकाकर्ताओं को कोई अवसर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, योजना का बाद में परिवर्तन और/या संशोधन पूरी तरह से अवैध है और इसके योग्य है रद्द कर दिया और अलग कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कहा जा सकता है। उपरोक्त के समर्थन में, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील-किरायेदारों ने अनुसूचित जाति में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है

और कमजोर वर्ग कल्याण संघ बनाम कर्नाटक राज्य ने (1991) 2 एस. सी. सी. एस. सी. सी. 604 में रिपोर्ट किया।

8.1 उपरोक्त निवेदन करके, अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है और उनके द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है।

एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 46 के तहत, एन. आई. टी. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ मूल भूमि मालिकों और विकासकर्ताओं ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि योजना विविध/संशोधित है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 के अनुसार, जहां एक अंतिम विकास योजना में ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नगर योजना योजना में किए गए प्रस्तावों में परिवर्तन या संशोधन हैं, योजना प्राधिकरण ऐसी योजना को धारा 92 के तहत अंतिम विकास योजना में किए गए प्रस्तावों द्वारा आवश्यक सीमा तक उपयुक्त रूप से परिवर्तित करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 92 राज्य सरकार को योजना को बदलने और/या संशोधित करने के लिए अधिकृत करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, यदि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 और 92 को संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि बाद में योजना का परिवर्तन योजना को विकास योजना के अनुरूप लाने के लिए एक औपचारिक कार्रवाई होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विकास योजना थी

आपत्तियों आदि को आमंत्रित करने के बाद स्वीकृत योजना को मंजूरी विकास योजना के अनुरूप लाने के लिए योजना में बाद में बदलाव केवल एक औपचारिकता होगी जिसकी आवश्यकता हैः

एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 92 के तहत किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए नागपुर सुधार विश्वास v.

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

10. अब, जहाँ तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने की बात है कि तथ्य और बाद में योजना आई विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति के अनुसार परिवर्तन किया जाना और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश

यह कहा जा सकता है कि न्यायालय को लागू किया गया था और इसलिए, अपीलार्थियों को विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि पूर्वाग्रह के बिना और सुरक्षित पक्ष होने के लिए यदि योजना भिन्न और/या संशोधित है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा विध्वंस नोटिसों को दरकिनार कर दिया है और वस्तुतः यह जानने की मांग की है कि स्वीकृत लेआउट योजना और वैध रूप से भवन अनुमति प्रदान की गई है।

11. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। अपीलों के वर्तमान समूह में किस बात को चुनौती दी गई है

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 15.09.2016 2015 की रिट याचिका No.2695 में पारित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पर विचार करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित दो प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए पड़ेः

" 1. चाहे महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (6) के तहत अंतिम विकास योजना में "आंतरिक सड़क" के प्रस्ताव का अभाव और नागपुर की धारा 45 के तहत प्रकाशित योजना में इसका अस्तित्व हो।

सुधार न्यास अधिनियम को 'भिन्नता' कहा जा सकता है या

' 'संशोधन', जैसा कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 द्वारा विचार किया गया है?
,

1. क्या 'आईडी2' पर स्वीकृत अंतिम लेआउट योजना और 'आईडी3' पर दिए गए और 'आईडी1' पर संशोधित भवन परमिट के आधार पर विध्वंस के विवादित नोटिसों को आंतरिक सड़क की कमी के लिए अलग रखने की आवश्यकता है, जो कि 'एस. सी. आर. 2019' था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. आई. टी. की धारा 44 के तहत स्वीकृत योजना का हिस्सा

एक्ट?

11.1

यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शुरू में विध्वंस नोटिस

दिनांक 24.04.2015 को एन. आई. टी. द्वारा जारी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त विध्वंस नोटिस दिनांक 15.05.2012 की स्वीकृत लेआउट योजना, 27.06.2012 पर दिए गए भवन परमिट और 11.12.2014 पर संशोधित होने के परिणामस्वरूप जारी किए गए थे। इसके बाद, एक संशोधन द्वारा, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने एन. आई. टी. द्वारा 27.06.2012 पर स्वीकृत योजना और 11.12.2014 पर संशोधित योजना को दी गई मंजूरी को चुनौती दी। उक्त संशोधन की अनुमति दी गई थी। चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि दी गई मंजूरी अवैध और योजना के विपरीत है। एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत वर्ष 1964 में स्वीकृत इस योजना में 15 मीटर की आंतरिक सड़क प्रदान की गई थी। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सुधार योजना को "अभ्यंकर रोड चौड़ीकरण और बुटी महल स्ट्रीट योजना "वर्ष 1964 में एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार और स्वीकृत की गई थी। हालाँकि, इसके बाद, एम. आर. टी. पी. अधिनियम अधिनियमित किया गया और एन. आई. टी. अधिनियम के अधिनियमन के बाद अर्थात् 28.12.1966 से प्रभावी हुआ। कालक्रम से

ऊपर उल्लिखित घटनाओं की सूची में यह प्रतीत होता है और यह विवाद में नहीं है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 31 के तहत पहली अंतिम विकास योजना

एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकृत योजना में 15 मीटर की आंतरिक सड़क नहीं है। इसके बाद भी, जब वर्ष 1989 में डी. पी. को संशोधित किया गया था और उसके बाद 2001 में, उपरोक्त आंतरिक सड़क को संशोधित आई. डी. 1 में चित्रित नहीं किया गया था, जिसके बाद सरकार ने एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत पुनर्गठित समग्र भूखंड आवंटित किया और मूल भूमि मालिकों/डेवलपर्स ने लेआउट योजना प्रस्तुत की, जिसे एन. आई. टी. द्वारा स्वीकृत किया गया और यहां तक कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भवन की अनुमति भी दी गई थी। इसलिए, एन. आई. टी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित 'आई. डी. 1' दिनांकित विध्वंस नोटिस जारी किए ताकि मूल भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं को स्वीकृत लेआउट योजना और भवन निर्माण अनुमति के अनुसार विचाराधीन भूमि पर निर्माण करने की अनुमति/अनुमति दी जा सके। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा कहा है कि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकृत योजना में 15 मीटर की आंतरिक सड़क प्रदान की गई है, जब तक कि योजना प्राधिकरण द्वारा एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 46 के तहत इसमें बदलाव और/या संशोधन नहीं किया जाता है।

इसे लागू करना होगा और इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास नागपुर सुधार विश्वास v है।

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

एन. आई. टी. के लिए मूल को विध्वंस के नए नोटिस जारी करने के लिए इसे खुला रखते हुए 24.04.2015 दिनांकित विध्वंस के नोटिस को रद्द कर दिया और अलग कर दिया।

रिट याचिकाकर्ताओं को दिनांक 15.05.2012 की स्वीकृत लेआउट योजना के बाद, दिनांक 27.06.2012 पर दिए गए और 11.12.2014 पर संशोधित भवन परमिट के साथ-साथ किया गया निर्माण, यदि कोई हो, तो एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रकाशित योजना के अनुरूप लाया जाता है।

23.06.1964 .

11.2 इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत विकास योजना में विचाराधीन भूमि से आंतरिक सड़क का प्रावधान नहीं है, तब भी एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रकाशित योजना, जिसमें 15 मीटर आंतरिक सड़क का प्रावधान है, लागू होगी और/या लागू करनी होगी, हालांकि यह योजना एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत विकास योजना के विपरीत हो सकती है?

11.3 उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने का उद्देश्य और उद्देश्य

रीति और निष्पादन को प्रभावी बनाया जाता है; (3) योजनाओं के संबंध में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करना, और (4) उपरोक्त मामलों से जुड़े उद्देश्यों के लिए। उक्त अधिनियम को उनके उद्देश्य के लिए स्थापित क्षेत्रों में भूमि के विकास और उपयोग की योजना बनाने के लिए प्रावधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि कि नगर नियोजन योजनाएं उचित तरीके से बनाई जाएं और उनका निष्पादन प्रभावी बनाया जाए। इसलिए, एम. आर. टी. पी. अधिनियम उपरोक्त उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया।

11.5 अधिनियम की धारा 3 राज्य सरकार को राज्य के किसी भी क्षेत्र को एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की अनुमति देती है। एक क्षेत्रीय योजना होनी चाहिए

धारा 14 में उल्लिखित विभिन्न विषयों के लिए तैयार किया गया एक्ट करें। 'विकास योजना' को अधिनियम की धारा 2 (9) के तहत [2019] 1 एस. सी. आर. के भीतर क्षेत्र के विकास या पुनर्विकास के लिए एक योजना के रूप में परिभाषित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

योजना प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र। धारा 2 (19) "योजना प्राधिकरण" को एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में परिभाषित करती है, और इसमें कुछ अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण भी शामिल हैं। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि विकास योजना को "क्षेत्रीय योजना के प्रावधानों के अनुसार" तैयार किया जाना है जो अधिनियम की धारा 21 (1) में विशेष रूप से कहा गया है।

11.6 एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है -

धारा 39 "। विकास के आधार पर नगर नियोजन योजना में भिन्नता

योजना-जहाँ एक अंतिम विकास योजना में ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो नगर योजना में किए गए प्रस्तावों में भिन्नता या संशोधन में होते हैं।

योजना जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, योजना प्राधिकरण ऐसी योजना को धारा 92 के तहत अंतिम विकास योजना में किए गए प्रस्तावों द्वारा आवश्यक सीमा तक उपयुक्त रूप से परिवर्तित करेगा।

11.7 हम 1976 की अंतिम विकास योजना से चिंतित हैं जिसमें भूमि से 15 मीटर की आंतरिक सड़क शामिल नहीं है। 1964 की अंतिम योजना में प्रदान की गई 15 मीटर की आंतरिक सड़क के खिलाफ प्रश्न। इस प्रकार 1964 की योजना को 15 मीटर आंतरिक सड़क प्रदान करने की सीमा तक एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों को तैयार और स्वीकृत करना एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

11.8 एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 43 उस तारीख के बाद भूमि के विकास पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है जिस दिन किसी भी क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने के इरादे की घोषणा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, सिवाय इसके कि अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान के तहत प्रदान किया गया हो। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 46 में प्रावधान है कि योजना प्राधिकरण विकास की अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करते समय एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत प्रस्तुत या स्वीकृत सूचना के माध्यम से प्रकाशित किसी भी मसौदे या अंतिम योजना या प्रस्तावों के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 में एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत योजना तैयार करने का प्रावधान है, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि योजना प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए एक या अधिक नगर योजना योजना तैयार कर सकता है।

अंतिम विकास योजना में प्रस्तावों को लागू करने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा। इस प्रकार, हम एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में, 15 मीटर की आंतरिक सड़क प्रदान करने वाली योजना एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अधिनियमन से पहले तैयार और स्वीकृत की गई थी और इसलिए, धारा 92 के साथ पठित धारा 39 लागू होगी।

11.9 इसलिए, धारा 39,43,46 और यहां तक कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 59 के संयुक्त पठन पर, विकास योजनाएं तैयार की गईं और

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत प्रावधान प्रभावी होंगे। इसलिए, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजना के विपरीत किसी भी विकास और/या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हालांकि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत तैयार और स्वीकृत योजना ऐसे विकास की अनुमति दे सकती है और/या

निर्माण। इस प्रकार, उपरोक्त दृष्टिकोण जो हम ले रहे हैं, वह मनोहर जोशी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थित है।

डी. पी. योजना के प्रावधानों के साथ विरोधाभास मनोहर जोशी (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की कि डी. पी. योजना टी. पी. योजना को ओवरराइड करती है। इस न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि विकास योजना और टी. पी. एस. योजना एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से तब तक काम करते हैं जब तक कि राज्य सरकार विकास योजना के तहत प्रतिष्ठित क्षेत्र की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और भूमि का अधिग्रहण करते हुए, भूमि मालिक टी. पी. योजना के तहत अनुमत उपयोगकर्ता के अनुसार अपनी संपत्ति का विकास कर सकते हैं। उपरोक्त निवेदन को स्वीकार नहीं करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विकास योजना के प्रावधानों के विपरीत विकास की अनुमति देना, यह पूरी तरह से जानते हुए कि टी. पी. योजना के तहत उपयोगकर्ता विकास योजना में भिन्न है, एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39,42,46 और 52 के प्रावधानों को अर्थहीन बना देगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया विपरीत अवलोकन और निष्कर्ष कि जब तक और जब तक एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 46 के तहत योजना में बदलाव नहीं किया जाता है, जैसा कि एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम, एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकृत योजना बनी रहेगी और इसे लागू किया जा सकता है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

11.10 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हालांकि एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत योजना में 15 मीटर की आंतरिक सड़क का प्रस्ताव है।

जब एम. आर. टी. पी. अधिनियम [2019] 1 एस. सी. आर. लागू हुआ, तब से यह चल रहा था।

और उसके बाद भी जब वर्ष 1976 में नागपुर के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 31 के तहत पहली विकास योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 15 मीटर की आंतरिक सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं था, और यहाँ तक कि

इसके बाद, दो बार विकास योजना को संशोधित किया गया, पहले वर्ष 1989 में और फिर वर्ष 2001 में जिसमें 15 मीटर की आंतरिक सड़क का कोई प्रावधान नहीं था, उपरोक्त के बावजूद, किसी भी समय मूल रिट याचिकाकर्ताओं सहित किसी ने भी विकास योजना को चुनौती नहीं दी।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत जिसमें 15 मीटर की आंतरिक सड़क नहीं थी

दिखाया गया है। इसके बाद भी, किसी भी समय, और यहां तक कि रिट याचिका में भी, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उस विकास योजना को चुनौती दी और उसे रद्द करने का अनुरोध किया जिसमें 15 मीटर की आंतरिक सड़क का कोई प्रावधान नहीं था, हालांकि इसका उल्लेख एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत तैयार और स्वीकृत योजना में किया गया था।

11.11 यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं ने भी लेआउट योजना को मंजूरी दे दी है और भवन प्राप्त कर लिया है

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमति। ऊपर उल्लिखित एम. आर. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि एन. आई. टी. अधिनियम के तहत योजना में आंतरिक 15 मीटर सड़क का प्रावधान था, जिसे वर्ष 1964 में स्वीकृत किया गया था, इसके बाद बहुत विकास हुआ था और परिस्थितियाँ बदल गई हैं। विकास योजना/संशोधित विकास योजना में मौजूदा सड़क को 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ा किया गया और इसलिए, जब एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत डी. पी. तैयार और स्वीकृत किया गया, तो 15 मीटर आंतरिक चौड़ी सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं था। जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है,

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत तैयार और स्वीकृत विकास योजना टी. पी. योजना को ओवरराइड करें। जैसा कि ऊपर देखा गया है, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत डी. पी. योजना के विपरीत कोई विकास और/या निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परिस्थितियों में, विवादित निर्णय

और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

11.12 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से एक क्षीण प्रयास किया गया था कि, डी. पी. योजना में, विराम रेखा थी जिसे अभ्यंकर रोड से 15 मीटर की आंतरिक सड़क कहा जा सकता है। हालांकि, नागपुर की स्वीकृत विकास योजना की आंशिक योजना पर विचार करने पर दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत शहर (जिस पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्भरता रखी गई है), उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि एन. आई. टी. की ओर से सही कहा गया है, विराम चिह्न रेखाओं को मौज़ा सीमा/एन. आई. टी. योजना सीमा के रूप में वर्णित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने भी नोट किया कि नागपुर सुधार ट्रस्ट v के बीच एक संघर्ष है।

एम/एस बम्बईवाला [एम. आर. शाह, जे.]

डी. पी. योजना और एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकृत योजना।

11.13 यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि लेआउट योजना को मंजूरी देने और भवन अनुमति देने में एन. आई. टी. की कार्रवाई है

कानून की शरारत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेआउट योजनाओं को मंजूरी दी गई है और भवन अनुमति पूरी तरह से एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत डी. पी. के अनुरूप दी गई है। भवन अनुमति पत्र के अनुसार और उसे आगे बढ़ाने के लिए विध्वंस नोटिस प्राप्त किए गए थे ताकि मूल भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं को स्वीकृत लेआउट योजना और भवन अनुमति पत्र के अनुसार निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की है कि एन. आई. टी. की कार्रवाई कानूनी रूप से शरारत थी।

11.14 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, एक ओर, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 86 में विशेष रूप से कहा है कि उच्च न्यायालय ने नहीं किया है एन. आई. टी. द्वारा दी गई लेआउट योजना और भवन अनुमति को दरकिनार करना भी उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है, पैराग्राफ 89 (2) में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां भवन अनुमति में स्वीकृत लेआउट योजना को वस्तुतः रद्द करने और दरकिनार करने के समान होंगी। योग और पदार्थ और टिप्पणियों का परिणामी प्रभाव

उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 89 (2) में दिए गए निर्णय के पहले भाग में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी मूल भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं को भवन लेआउट योजना और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत दिए गए भवन परमिट पर कोई निर्माण नहीं करने के लिए वस्तुतः प्रतिबंधित करती है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि विशेष रूप से स्वीकृत लेआउट योजना और इसके तहत दिए गए भवन परमिट को रद्द और अलग नहीं किया गया है।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम, उच्च न्यायालय ने एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत लेआउट योजना और भवन अनुमति को रद्द कर दिया है।

11.15 यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाद लंबित है।

कई वर्षों से। भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं ने इसी तरह के अन्य किरायेदारों के साथ समझौता किया। अब, केवल 18 किरायेदार विकास का विरोध कर रहे हैं, हालांकि भूमि मालिक/विकासकर्ता सहमत हो गए हैं और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं जो इस न्यायालय के समक्ष सहमति के अनुसार अन्य किरायेदारों को दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कारणों से और/या भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं पर कुछ और लाभ देने के लिए दबाव बनाने के लिए, मूल रिट याचिकाकर्ता विकास/निर्माण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मूल भूमि मालिकों/विकासकर्ताओं के पास भवन निर्माण की अनुमति है और उन्होंने एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत और भारी [2019] 1 एस. सी. आर. खर्च करने के बाद भी अपनी योजनाओं को मंजूरी दे दी है।

11.16 जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के बाद, एन. आई. टी. ने संशोधित किया है उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत योजना और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश पर कार्रवाई की जाती है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को एन. आई. टी. और/या विकासकर्ता द्वारा चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसका कोई सार नहीं है। केवल इसलिए कि आगे किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए, यदि एन. आई. टी. ने योजना को संशोधित किया है जो एन. आई. टी. और/या मूल भूमि मालिकों/डेवलपर्स को विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देने से नहीं रोकेगा।

11.17 उपरोक्त प्रस्तुतियों और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है।

स्थानांतरित मामला ओ No.23/2018:

12. अब, जहाँ तक हस्तांतरित मामले ओ No.23/2018 का संबंध है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 2017 की रिट याचिका No.5005 होने के कारण दायर रिट याचिका को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 03.11.2017 द्वारा पारित आदेश के लिए। याचिका में, मूल रिट याचिकाकर्ता ने एन. आई. टी. द्वारा जारी अधिसूचना और एन. आई. टी. संकल्प No.27/1167 दिनांक 07.03.2017 और संकल्प संख्या 17/1165 दिनांक 03.01.2017 को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके द्वारा एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत स्वीकृत 1964 की मूल योजना को एन. आई. टी. अधिनियम की धारा 45 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए संशोधित किया गया है और 15 मीटर की आंतरिक सड़क को हटा दिया गया है।

12.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि योजना में संशोधन करने और 15 मीटर की आंतरिक सड़क को हटाने की अधिसूचना किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना है जैसा कि नीचे आवश्यक है।

अधिनियम और कोई आपत्ति आमंत्रित किए बिना और यहां तक कि राज्य सरकार की मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई है। हालांकि, इस पर विचार करते हुए

एन. आई. टी. की ओर से दायर जवाबी हलफनामे की सामग्री जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि याचिका No.2017 में 15 रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा भेजी गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 46 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वसम्मति से एक बोर्ड प्रस्ताव पारित किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को कोई अवसर नहीं दिया गया था। द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद 15 मीटर की आंतरिक सड़क को हटाकर योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

रिट याचिकाकर्ताओं। यह ध्यान देने योग्य है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 योजना प्राधिकरण को एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप योजना में बदलाव करने का आदेश देती है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जब डी. पी. को मंजूरी दी गई थी, बिना किसी प्रस्ताव के

15 मीटर की आंतरिक सड़क, पहले वर्ष 1976 में और उसके बाद वर्ष 1989 और 2001 में, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बनाई गई थी और इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। इसलिए, इसके बाद, जब मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, डी. पी. योजना के साथ टकराव की सीमा तक योजना को एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 के तहत अनिवार्य रूप से संशोधित किया गया है, तो उसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 और एन. आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ने पर, योजना में संशोधन करने वाली विवादित अधिसूचना और/या 15 मीटर चौड़ी सड़क को हटाने की योजना में संशोधन करने वाले बोर्ड प्रस्ताव, जो अब एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना के अनुरूप होगी, को अवैध वारंट नहीं कहा जा सकता है।

इस न्यायालय का हस्तक्षेप। इसलिए, एन. आई. टी. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.04.2017 और संबंधित एन. आई. टी. संकल्प को चुनौती दी जाए।

15 मीटर की आंतरिक सड़क को हटाने की योजना में संशोधन विफल रहा।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, एसएलपी (सी) से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपील को छोड़कर सभी संबंधित दीवानी अपीलें

सं. 38036/2016 की एतद्द्वारा अनुमति दी जाती है और बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर की पीठ द्वारा 2015 की रिट याचिका No.2695 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। एस. एल. पी. (सी) सं. 38036/2016 (मेसर्स गेसन बनाम एस. नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) को बर्खास्त कर दिया गया है।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13.1 हस्तांतरित मामला ओ No.23/2018 ऊपर बताए गए कारणों से खारिज कर दिया गया है।

हालाँकि, यह देखा गया है कि संबंधित मूल याचिकाकर्ताओं को भी वही व्यवहार दिया जाएगा जो अन्य किरायेदारों को दिया जाएगा जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष सहमति हुई थी और/या अन्य किरायेदारों के साथ किए गए समझौते के अनुसार।

14. एस. एल. पी. (सी. नं. 38036/2016) से उत्पन्न सिविल अपील को छोड़कर इन सभी अपीलों को उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार अनुमति दी जाती है। एस. एल. पी. (सी) सं. 38036/2016 (मेसर्स) से उत्पन्न सिविल अपील। गेसन (एम/गेसन बनाम नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) और स्थानांतरित मामले को खारिज कर दिया गया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

निप

टाए गए मामले